विवरण 4–ख
STATEMENT 4–B

चल स्टाक (सवारी और मालडिब्बा) का कार्य-निष्पादन
ROLLING STOCK (CARRIAGE AND WAGON) PERFORMANCE

(ई० एम० यू० स्टाक को छोड़कर)
(Excluding Electric Multiple Unit Stock)

विवरण–4–ख
Statement 4–B

रेलवे बोर्ड
RAILWAY BOARD

बड़ी/मीटर/छोटी लाइन
B.G./M.G./N.G.

_____ रेलवे
(रिपोर्ट भेजने वाली रेलवे का पूरा नाम) Railway
(Full name of reporting Railway)

चल स्टाक (सवारी और मालडिब्बा) का कार्य निष्पादन
ROLLING STOCK (CARRIAGE AND WAGON) PERFORMANCE
(ई० एम० यू० स्टाक को छोड़कर)
(Excluding Electric Multiple Unit Stock)

मास.....19....के आंकड़े, For the month of.....19...,

मास.....19...की तुलना में compared with the month of.....19...

महीने के आंकड़े Figures for the month		मद Item	संचयी आंकड़े 1 अप्रैल से Cumulative figures from April, 1st	
19	19		19	19
कA	खB	गC	घD	ङE
		कोचिंग स्टाक Coaching Stock.		
		1. औसत प्राधिकृत स्टाक (यूनिटों में) Average authorised stock (in units)		
		1.01 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		1.02 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		2. लाइन पर औसत संख्या— Average number on the line—		
		सवारी डिब्बे Passenger carriages		
		2.01 यूनिटों में .. In units		
		2.02 चौपहियों में .. In terms of four-wheelers		
		अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles.		
		2.03 यूनिटों में .. In units		

विवरण 4–ख

चल स्टाक (सवारी और मालडिब्बा) का कार्य-निष्पादन

अनुदेश

टिप्पणी 1—बड़ी, मीटर और छोटी लाइनों के लिए अलग-अलग विवरण अपेक्षित हैं ।

2. विवरण 8 में शामिल बिजली स्टाक इस विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा । उपनगरीय खण्डों पर बिजली चालित रेल इंजनों द्वारा धक्का-खींच पद्धति से खींचे जाने वाले बिजली ट्रेलर कोचों की संख्या, जो इस विवरण में शामिल नहीं हैं, अलग से उपयुक्त पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी । इसके अलावा, इस विवरण में दिखाये गये कार्य-निष्पादन/परिणामों में बिजली चालित रेल इंजनों द्वारा धक्का-खींच पद्धति से खींचे जाने वाले ट्रेलर कोचों का कार्य निष्पादन/परिणाम भी शामिल होगा ।

3. इस विवरण की कतिपय मदों के संकलन के सम्बन्ध में सामान्य अनुदेश का पैरा 13 देखें ।

4. मद 5 से 7 तक में औसत निकालने के लिए क्रमशः पिछले और चालू महीनों के अन्तिम दिन के आंकड़ों का माध्य लिया जायेगा ।

कोचिंग स्टाक

1. **औसत प्राधिकृत स्टाक.—**

मद 1.01—जैसा कि विवरण 4-क की मद 1 में है, लेकिन सवारी डिब्बों के सम्बन्ध में अर्थात् एकमात्र सवारियों को ढोने के काम में आने वाले कोचिंग स्टाक तथा उन मिले-जुले डिब्बों के सम्बन्ध में जो कि समूचे अथवा अंशतः सवारियां ढोने के लिए आबंटित हों, और सैनिक यानों, ऐंबुलैंस यानों और बंदी यानों के सम्बन्ध में । संचयी आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं ।

मद 1.02.—जैसा कि विवरण 4-क की मद 1 में है, लेकिन अन्य कोचिंग वाहनों अर्थात् उस कोचिंग स्टाक के सम्बन्ध में जो मद 1.01 में शामिल नहीं किया गया । रेल अधिकारियों तथा सरकार के उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले आरक्षित सवारी डिब्बे, यथा राष्ट्रपति की स्पेशल गाड़ियों पर इस्तेमाल होने वाले, सेनाध्यक्षों और मंत्रियों के इस्तेमाल में आने वाले आरक्षित डिब्बे, तथा पर्यटन-यान, भोजन यान, निर्माण यान, रसोई यान, संयुक्त असबाब और ब्रेक यान तथा एक मात्र सवारी और मिली-जुली गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रेक यान भी अन्य कोचिंग वाहनों के तौर पर माने जाएंगे । संचयी आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं ।

2. **लाइन पर औसत संख्या .—**

मद 2.01 और 2.03.—जैसा कि विवरण 4-क की मद 2 में है, लेकिन मद 1 के अन्तर्गत यथापरिभाषित क्रमशः सवारी डिब्बों और अन्य कोचिंग वाहनों के सम्बन्ध में । अन्य रेलवे से आने वाले सीधी गाड़ियों के एक हिस्से के तौर पर, लाइन पर अस्थायी रूप से चलने वाले वाहनों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन लाइन से अलग अन्य रेलवे को जाने वाली सीधी गाड़ियों पर चलने वाले वाहन शामिल किए जाएंगे ।

इसमें निम्नलिखित वाहनों की औसत संख्या शामिल नहीं होगी, बल्कि पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी :—

(*i*) ब्रेक यान ।

(*ii*) विभागीय वाहन ।

Statement 4–B

Rolling Stock (Carriage and Wagon) Performance

Instructions

NOTE 1.—Separate statements are required for broad, metre and narrow gauges.

2. Electric stock included in Statement 8 are not to be included in this statement. The number of electric trailer coaches hauled by electric locomotives on push and pull system on the suburban sections which are not included in this statement, are to be shown separately in a suitable footnote. Further the performance/results shown in this statement shall be inclusive of those for the trailer coaches hauled by electric locomotives on push and pull system.

3. See paragraph 13 of the General Instructions regarding the compilation of certain items appearing in this statement.

4. Average under items 5 to 7 is to be worked out by taking the mean of the figure as on the last days of the previous and current months respectively.

Coaching Stock

1. **Average authorised stock**

Item 1.01.—As in item 1 of St. 4-A, but in respect of passenger carriages, i. e., coaching stock exclussively used for carrying passengers, as well as composite carriages of which the whole or any part is allotted for carrying passengers, military cars, ambulance cars and prison vans. Cumulative figures are not required.

Item 1.02.—As in item 1 of St. 4-A, but in respect of other coaching vehicles, i. e., coaching stock not included in item 1.01. Reserved carriages allotted for Railway Officers and High Officials of Government, such as, those used on President's Specials, for Army Commanders' and Ministers' use etc., as well as tourist cars, restaurant cars, construction cars, kitchen cars, composite luggage and brake vans, and brake vans exclusively used on passenger and mixed services are also to be treated as other coaching vehicles. Cumulative figures are not required.

2. **Average number on the line**

Items 2.01 and 2.03.—As for item 2 of St. 4-A, but for passenger carriages, and other coaching vehicles respectively, as defined under item 1. Vehicles running on the line temporarily as forming part of through trains from other railways are not to be included, but those away from the line running on through trains to other railways are to be included.

The average number of the following vehicles is to be excluded and shown in a footnote:—

(*i*) Brake vans.

(*ii*) Departmental vehicles.

कA	खB	गC	घD	ङE
		2.04 चौपहियों में .. In terms of four-wheelers		
		3. नाकारगर स्टाक की औसत संख्या (यूनिटों में) Average number of ineffective stock (in units).		
		अ—वर्कशाप में मरम्मत-अधीन या मरम्मत प्रतीक्षु A—Under or awaiting repairs in work-shops		
		(क) यांत्रिक मरम्मत— (a) Mechanical repairs—		
		3.01 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.02 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.03 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.04 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		
		(ख) बिजली मरम्मत— .. (b) Electrical repairs—		
		3.05 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.06 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.07 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.08 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		
		(ग) जोड़ [(क)+(ख)] (c) Total (a+b)		
		3.09 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.10 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.11 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.12 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		

(*iii*) नाकारा घोषित किए गए और यातायात से हटाए गए वाहन तथा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने के बाद पैरा 239-वि० के संदर्भ में जिनकी मरम्मत अलाभकर घोषित की गई हो, भले ही नाकारा घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त हुई हो या न हुई हो।

(*iv*) अन्य विभागों, स्वक्षेत्रीय लाइन निर्माण तथा अन्य रेलों को उधार दिए गए वाहन।

(*v*) कोचिंग यातायात के लिए इस्तेमाल होने वाले मालडिब्बे।

मद 2.02 और 2.04—में क्रमशः मद 2.01 और 2.03 के अन्तर्गत आने वाले वाहनों की संख्या, चौपहियों में परिवर्तित करके दिखाई जाएगी; देखिए सामान्य अनुदेश का पैरा 48।

3. **नाकारगर स्टाक की औसत संख्या**.—

टिप्पणी 1.—निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) आंकड़ों को पूर्णांकों में पूर्णांकित किया जायेगा, लेकिन प्रतिशतांकों को दशमलव के दो स्थान तक दिखाया जायेगा।

टिप्पणी 2.—बिजली सम्बन्धी या यांत्रिक दोषों के कारण नाकारगर होने के आंकड़े, यथास्थिति, अलग अलग दिये जायेंगे और जोड़ के आंकड़े भी, जैसा कि प्रोफार्मा में दिखाया गया है।

केवल उसी किस्म के सवारी डिब्बे और अन्य कोचिंग वाहन जैसा कि मद 1 में निर्दिष्ट हैं, शामिल किये जाएंगे। कोचिंग वाहन जब चालन के अयोग्य हो तो शुरू के 24 घंटों के बाद के प्रत्येक 24 घंटों अथवा उसके अंश के लिए उसे 1 दिन के लिए मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु माना जाएगा। 24 घंटों की छूट का समय उसी समय से गिना जाएगा जिस समय से कि वाहन को चालन के अयोग्य घोषित किया जाय। इन परिणामों को निकालते समय, मद 2.01 के अन्तर्गत मद (*i*) से (*v*) में उल्लिखित वाहनों को शामिल नहीं किया जाएगा।

उदाहरण.—यदि किसी वाहन को सोमवार प्रातः 10 बजे चलने के अयोग्य घोषित किया जाए और उसकी मरम्मत का काम मंगलवार प्रातः 10 बजे पूरा हो जाए तो वाहन को मरम्मत-अधीन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि मरम्मत का काम मंगलवार प्रातः 10 बजे के बाद के किसी समय, भले ही केवल एक घंटे बाद और बुधवार प्रातः 10 बजे से पहले, पूरा हो जाय, तो उसे 1 दिन के लिए मरम्मत-अधीन माना जाएगा, और आगे भी इसी प्रकार।

आवधिक ओवरहाल के लिए अलग किये गये सवारी डिब्बों को, चाहे वे वर्कशाप में भेजे जाने की प्रतीक्षा में आधार डिपो में खड़े हो, चाहे परिवहन में हों, या वर्कशाप स्टेशन पर अथवा वर्कशाप पाकेट में खड़े हों, 'नाकारगर' गिना जायेगा, भले ही वे यात्रियों की ढुलाई के लिए यांत्रिक दृष्टि से दुरुस्त हों। लेकिन जब आवधिक ओवरहाल के लिए अलग किये गये स्टाक को किसी सवारी गाड़ी द्वारा वर्कशाप स्टेशन को/की तरफ भेजा जाय और उसमें यात्री बैठे हों तो आधार/बुकिंग स्टेशन से प्रस्थान की तारीख से मन्तव्य स्टेशन पर पहुंचने की तारीख तक यात्री-सहित यात्रा की अवधि नाकारगर नहीं मानी जायगी।

मद 3.01, 3.03, 3.05, 3.07, 3.09, 3.11 में वर्कशाप की सीमा के भीतर मरम्मत-अधीन या मरम्मत-प्रतीक्षु सभी वाहन वर्कशाप से भेजे जाने की तारीख तक (जिसमें वह तारीख भी शामिल होगी) शामिल किये जायेंगे। मरम्मत पूरी होने के बाद परीक्षण-अधीन वाहनों या परीक्षण-पश्चात मरम्मत वाले वाहनों को भी इन मदों में शामिल किया जायेगा। 24 घंटे की छूट-अवधि (फ्री पीरियड) केवल एक बार दी जायेगी।

(*iii*) Vehicles condemned and withdrawn from traffic as well as those which after inspection by proper authority are declared to be uneconomic to repair in terms of para. 239-F irrespective of whether the sanction for condemnation of the competent authority has been received or not.

(*iv*) Vehicles lent to other departments, home line constructions or other railways.

(*v*) Wagons used for coaching traffic.

Items 2.02 and 2.04—are to show the number of vehicles under items 2.01 and 2.03 respectively converted in terms of four-wheelers vide paragraph 48 of General Instructions.

3. **The average number of ineffective stock.**

NOTE 1.—The absolute figures are to be rounded off to whole numbers but the percentages are to be shown in two places of decimal.

NOTE 2.—Separate figures are to be given for ineffectiveness due to electrical or mechanical defects as the case may be and also for total as shown in the proforma.

Only the type of passenger carriages and other coaching vehicles as defined under item 1 are to be included. A coaching vehicle is to be considered as under or awaiting repairs for one day, for every 24 hours or portions thereof after the first 24 hours during which the vehicle is unfit to run. The 24 hours free time is to be reckoned from the time the vehicle is marked unfit to run. In calculating these results, the vehicles referred to in items (*i*) to (*v*) under item 2.01 are to be excluded.

EXAMPLE.—If a vehicle is marked unfit to run at 10 A. M. on Monday and repairs to it are completed by 10 A. M. on Tuesday the vehicle is not to be considered as under repairs. If the repairs, however, are completed any time after 10 A. M. on Tuesday, even if only an hour after, and before 10 A. M. on Wednesday, it is to be treated as under repairs for one day and so on.

Passenger carriages marked for P.O.H. whether stabled in base depot awaiting transfer to shop or in transit or stabled in workshop station or in the workshop pocket should be counted as 'ineffective' irrespective of their mechanical fitness to carry passengers. When, however, the stock marked for P.O.H. is sent by a passenger train to or towards the workshop station actually occupied by passengers the precise period of occupied journey reckoned from the date of departure from base/booking station to the date of arrival at the destination station should not be treated as ineffective.

Items 3.01, 3.03, 3.05, 3.07, 3.09, 3.11 are to include all vehicles under or awaiting repairs within workshop limits upto and including the date of desptach from shops. Vehicles under trial after completion of repairs or post trial repairs are also to be included under these items. The free period of 24 hours will be allowed only once.

कA	खB	गC	घD	ङE
		ब—मरम्मत लाइन में मरम्मत-अधीन या मरम्मत-प्रतीक्षु B—Under or awaiting repairs in sick-lines.		
		(क) यांत्रिक मरम्मत— (a) Mechanical repairs—		
		3.13 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.14 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.15 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.16 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		
		(ख) बिजली मरम्मत— (b) Electrical repairs—		
		3.17 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.18 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.19 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.20 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		
		(ग) जोड़ [(क)+(ख)] (c) Total (a+b)		
		3.21 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.22 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.23 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.24 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		
		स—वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े C—Stabled awaiting workshop repairs		
		(क) यांत्रिक मरम्मत— (a) Mechanical repairs—		
		3.25 सवारी डिब्बे .. Passenger carriages		
		3.26 मद 2.01 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.01		
		3.27 अन्य कोचिंग वाहन .. Other coaching vehicles		
		3.28 मद 2.03 का प्रतिशत .. Percentage of item 2.03		

जिन वर्कशापों के बाहर या समीप स्टेब्लिंग लाइनें हों, उनके मामले में वर्कशाप में प्रवेश की तारीख से, मरम्मत के बाद, वर्कशाप से भेजे जाने की तारीख तक की अवधि को (जिसमें दोनों दिन शामिल होंगे) ही इन मदों में दिखाया जायेगा। जिन वर्कशापों के बाहर या निकट कोई स्टेब्लिंग लाइन न हो उनके मामले में, मरम्मत-कार्य शुरू होने की तारीख से, मरम्मत के बाद, वर्कशाप से भेजे जाने की तारीख तक की अवधि को ही इन मदों में दिखाया जायेगा।

In the case of workshops having stabling lines outside or nearby, the period reckoned from the date of entry in the workshop to the date of despatch from workshop after repairs (both days inclusive) will alone be counted under these items. In the case of workshops having no stabling lines outside or nearby, the period from the date the repair work is started to the date of despatch from workshop after repair will alone be counted against these items.

मद 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21 और 3.23 में ऐसे सभी क्षतिग्रस्त और सेवा के अयोग्य वाहनों को शामिल किया जायेगा जो वस्तुतः मरम्मत लाइनों में खड़े हों और उन्हें भी जो की मरम्मत लाइनों पर लगाये जाने की प्रतीक्षा में हों।

Items 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21 and 3.23 are to include all damaged and unserviceable vehicles actually standing in sick lines and also those awaiting placement in sick lines.

मद 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33 और 3.35 में ऐसे सभी वाहन शामिल होंगे जो वर्कशापों को 'आफर' किये जायें लेकिन वर्कशापों द्वारा इनकार कर दिया जाय। यातायात यार्डों में और वर्कशाप सीमा से बाहर वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े सेवा-अयोग्य वाहनों को और वर्कशाप से बाहर अर्थात् मरम्मत लाइन डिपुओं पर नाकारा घोषित होने के लिए निरीक्षण की प्रतीक्षा में खड़े वाहनों को भी इन मदों में शामिल किया जायेगा। स्टेब्लिंग यार्ड में वाहनों के आगमन से लेकर वर्कशाप में प्रवेश तक की अवधि को (उन वर्कशापों के मामले में जिनके बाहर स्टेब्लिंग यार्ड हैं) तथा वर्कशाप में आगमन की तारीख से मरम्मत शुरू होने की तारीख तक की अवधि को (उन वर्कशापों के मामले में जिनकी सीमा से बाहर कोई स्टेब्लिंग यार्ड नहीं है) इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जायेगा। जो वाहन बिजली सम्बन्धी और यांत्रिक, दोनों तरह की मरम्मत के लिए खड़े किये जायें उनके कुल स्टेब्लिंग समय को बिजली और यांत्रिक के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाय।

Items 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33 and 3.35 are to include all vehicles offered to workshop but refused by them. Vehicles awaiting workshop repairs stabled as unserviceable in traffic yards and outside workshop limits and vehicles awaiting inspection for condemnation outside the workshop i. e., at sick line depots, etc., are also to be included under these items. The period of stabling of vehicles from arrival in the stabling yard to their entry in workshop in the case of workshops having stabling yards outside workshop limits as well as the period reckoned from the date of arrival in workshop to the date repair work started in the case of workshops having no stabling yards outside workshop limits should be reported under this head. In case of vehicles stabled both for mechanical and electrical repairs, total stabling time may be divided equally between electrical and mechanical.

मद 3.37 और 3.39 में बुकिंग स्टेशन से वर्कशाप अथवा आधार मरम्मत लाइन डिपुओं को जाने वाले सभी क्षतिग्रस्त और सेवा अयोग्य वाहन, बुक होने के समय से मरम्मत लाइन डिपों में अथवा वर्कशाप या वर्कशाप की सेवा करने वाले पाकेट यार्ड में पहुंचने के समय तक, शामिल किये जायेंगे। औसत निकालने के लिए पारवहन के वाहन दिनों की कुल संख्या को महीने के दिनों की संख्या से विभाजित किया जायेगा।

Items 3.37 and 3.39 are to include all damaged and unserviceable vehicles in transit from booking station to workshops or base sick line depots, from the time they are so booked till the time they arrive in the sick line depot, or workshop or pocket yard serving the workshop. The average is to be worked out by dividing the total number of vehicle days in transit by the number of days in the month.

$$\text{मद } 3.02 = \frac{\text{मद } 3.01 \times 100}{\text{मद } 2.01}$$

$$\text{Item } 3.02 = \frac{\text{Item } 3.01 \times 100}{\text{Item } 2.01}$$

$$\text{मद } 3.04 = \frac{\text{मद } 3.03 \times 100}{\text{मद } 2.03}$$

$$\text{Item } 3.04 = \frac{\text{Item } 3.03 \times 100}{\text{Item } 2.03}$$

$$\text{मद } 3.06 = \frac{\text{मद } 3.05 \times 100}{\text{मद } 2.01}$$

$$\text{Item } 3.06 = \frac{\text{Item } 3.05 \times 100}{\text{Item } 2.01}$$

$$\text{मद } 3.08 = \frac{\text{मद } 3.07 \times 100}{\text{मद } 2.03}$$

$$\text{Item } 3.08 = \frac{\text{Item } 3.07 \times 100}{\text{Item } 2.03}$$

$$\text{मद } 3.10 = \frac{\text{मद } 3.09 \times 100}{\text{मद } 2.01}$$

$$\text{Item } 3.10 = \frac{\text{Item } 3.09 \times 100}{\text{Item } 2.01}$$

$$\text{मद } 3.12 = \frac{\text{मद } 3.11 \times 100}{\text{मद } 2.03}$$

$$\text{Item } 3.12 = \frac{\text{Item } 3.11 \times 100}{\text{Item } 2.03}$$

$$\text{मद } 3.14 = \frac{\text{मद } 3.13 \times 100}{\text{मद } 2.01}$$

$$\text{Item } 3.14 = \frac{\text{Item } 3.13 \times 100}{\text{Item } 2.01}$$

$$\text{मद } 3.16 = \frac{\text{मद } 3.15 \times 100}{\text{मद } 2.03}$$

$$\text{Item } 3.16 = \frac{\text{Item } 3.15 \times 100}{\text{Item } 2.03}$$

कA	खB	गC	घD	ङE
		(ख) बिजली मरम्मत— (b) Electrical repairs—		
		3.29 सवारी डिब्बे Passenger carriages ..		
		3.30 मद 2.01 का प्रतिशत Percentage of item 2.01 ..		
		3.31 अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles ..		
		3.32 मद 2.03 का प्रतिशत Percentage of item 2.03 ..		
		(ग) जोड़[(क)+(ख)] (c) Total (a+b)		
		3.33 सवारी डिब्बे Passenger carriages ..		
		3.34 मद 2.01 का प्रतिशत Percentge of item 2.01 ..		
		3.35 अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles ..		
		3.36 मद 2.03 का प्रतिशत Percentage of item 2.03 ..		
		द—पारवहन (ट्रांज़िट) में — D—In transit—		
		3.37 सवारी डिब्बे Passenger carriages ..		
		3.38 मद 2.01 का प्रतिशत Percentage of item 2.01 ..		
		3.39 अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles ..		
		3.40 मद 2.03 का प्रतिशत Percentage of item 2.03 ..		
		घ—जोड़ (अ+ब+स+द)— E—Total (A+B+C+D)—		
		3.41 सवारी डिब्बे Passenger carriages ..		
		3.42 मद 2.01 का प्रतिशत Percentage of item 2.01 ..		
		3.43 अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles ..		
		3.44 मद 2.03 का प्रतिशत Percentage of item 2.03 ..		
		4. कारगर डिब्बों की औसत संख्या (यूनिटों में)— Average number effective (in units)—		
		4.01 सवारी डिब्बे Passenger carriages ..		
		4.02 मद 2.01 का प्रतिशत Percentage of item 2.01 ..		
		4.03 अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles ..		
		4.04 मद 2.03 का प्रतिशत Percentage of item 2.03 ..		

मद 3.18 = मद 3.17×100 / मद 2.01

मद 3.20 = मद 3.19×100 / मद 2.03

मद 3.22 = मद 3.21×100 / मद 2.03

मद 3.24 = मद 3.23×100 / मद 2.03

मद 3.26 = मद 3.25×100 / मद 2.01

मद 3.28 = मद 3.27×100 / मद 2.03

मद 3.30 = मद 3.29×100 / मद 2.01

मद 3.32 = मद 3.31×100 / मद 2.03

मद 3.34 = मद 3.33×100 / मद 2.01

मद 3.36 = मद 3.35×100 / मद 2.03

मद 3.38 = मद 3.37×100 / मद 2.01

मद 3.40 = मद 3.39×100 / मद 2.03

मद 3.41 = मद 3.09+3.21+3.33+3.37

मद 3.42 = मद 3.41×100 / मद 2.01

मद 3.43 = मद 3.11+3.23+3.35+3.39

मद 3.44 = मद 3.43×100 / मद 2.03

4. कारगर डिब्बों की औसत संख्या.—

मद 4.01 = मद 2.01—मद 3.41

मद 4.02 = मद 4.01×100 / मद 2.01

मद 4.03 = मद 2.03—मद 3.43

मद 4.04 = मद 4.03×100 / मद 2.03

Item 3.18 = Item 3.17 ×100 / Item 2.01

Item 3.20 = Item 3.19×100 / Item 2.03

Item 3.22 = Item 3.21×100 / Item 2.03

Item 3.24 = Item 3.23×100 / Item 2.03

Item 3.26 = Item 3.25×100 / Item 2.01

Item .28 = Item 3.27×100 / Item 2.03

Item 3.30 = Item 3.29×100 / Item 2.01

Item 3.32 = Item 3.31×100 / Item 2.03

Item 3.34 = Item 3.33×100 / Item 2.01

Item 3.36 = Item 3.35×100 / Item 2.03

Item 3.38 = Item 3.37×100 / Item 2.01

Item 3.40 = Item 3.39×100 / Item 2.03

Item 3.41 = Items 3.09+3.21+3.33+3.37

Item 3.42 = Item 3.41×100 / Item 2.01

Item 3.43 = Items 3.11+3.23+3.35+3.39

Item 3.44 = Item 3.43×100 / Item 2.03

4. Average number effective

Item 4.01 = Item 2.01—Item 3.41

Item 4.02 = Item 4.01×100 / Item 2.01

Item 4.03 = Item 2.03—Item 3.43

Item 4.04 = Item 4.03×100 / Item 2.03

कA	खB	गC	घD	ङE
		मालडिब्बों का स्टाक **Goods Stock**		
		5. औसत प्राधिकृत स्टाक .. Average authorised stock		
		6. स्वामित्व-अधीन मालडिब्बों की औसत संख्या— Average number of wagons owned—		
		6.01 यूनिटों में .. In units		
		6.02 चौपहियों में .. In terms of four-wheelers		
		7 लाइन पर, मालडिब्बों की दैनिक औसत संख्या (एकत्रीकृत अथवा गैर-एकत्रीकृत,) चौपहियों में.. Average number of wagons on line daily (pooled and non-pooled) in terms of four-wheelers.		

मालडिब्बों का स्टाक

5. औसत प्राधिकृत स्टाक—

मद 5.—जैसा कि विवरण 4-क की मद 1 में है, लेकिन मालडिब्बों के सम्बन्ध में। मद 7 के अन्तर्गत खण्ड (ख) की मद (*i*) में गिनाई गई किस्मों के मालडिब्बे शामिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि पाद-टिप्पणी में दिखाए जाएंगे। संचयी आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं।

6. स्वामित्व अधीन मालडिब्बों की औसत संख्या.—

मद 6 में रेलवे के अपने मालडिब्बों की कुल संख्या शामिल की जाएगी चाहे वे प्राधिकृत स्टाक के रूप में हों अथवा प्रति-स्थापित किए जा चुके स्टाक के रूप में हों जो कि अभी भी चल रहा हो। अन्य रेलों को उधार दिए गए मालडिब्बे शामिल किए जाएंगे, लेकिन मद 7 के अन्तर्गत खण्ड (ख) की मद (*i*) में गिनाई गई किस्म के मालडिब्बे शामिल नहीं किए जाएंगे और ये दोनों के दोनों पाद-टिप्पणियों में दिखाए जाएंगे। मद 6.01 में मालडिब्बों की संख्या यूनिटों में दिखाई जाएगी और मद 6.02 में चौपहियों में, जैसा कि सामान्य अनुदेश के पैरा 48 में निर्दिष्ट है।

7. लाइन पर, एकत्रीकृत (पूल्ड) और गैर-एकत्रीकृत, मालडिब्बों की दैनिक औसत संख्या (चौपहियों में)

टिप्पणी.—आंकड़े चौपहियों में दिखाये जायेंगे, जिनकी परिभाषा सामान्य अनुदेश के पैरा 48 में दी गयी हैं।

मद 7. (क) लाइन पर, बड़ी लाइन और मीटर लाइन के मालडिब्बों की औसत संख्या के आंकड़े वर्तमान काल में मालडिब्बा अन्तर्बंदल निदेशक द्वारा भेजे जाने वाले आंकड़ों से निकाले जायेंगे। अन्य रेलों को गए हुए, स्वक्षेत्रीय लाइन के मालडिब्बे शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन स्वक्षेत्रीय लाइन पर चलने वाले अन्य रेलों के मालडिब्बे, जिसमें उधार पर अथवा भाड़े पर लिए गए मालडिब्बे भी शामिल हैं इसमें शामिल किए जाएंगे।

(ख) 'लाइन पर मालडिब्बों की दैनिक औसत संख्या' निकालते समय निम्नलिखित मालडिब्बे शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन उन्हें पाद-टिप्पणी में सातों शीर्षों में अलग-अलग दिखाया जाएगा—

(*i*) राख के डिब्बे
क्रेन
क्रेनों को सहारा देने वाले डिब्बे
डमी ट्रक
इंजीनियरी गिट्टी ट्रक
फिटर यान
ब्रेक यान (एकमात्र सवारी और मिली-जुली गाड़ी सेवाओं पर इस्तेमाल होने वाले ब्रेक यानों को छोड़कर)
वर्कशाप सेवा मालडिब्बे
पानी की टंकियां (कर्मचारियों को पानी देने वाली)
चौकी तुला जांच मालडिब्बे
पहिया यान

टिप्पणी.—'कोचिंग' के रुप में जो भी स्टाक वर्गीकृत होगा वह शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जायेगा :—

दुर्घटना और सहायता (रिलीफ) यान,
गैस होल्डर,
भण्डार यान, और
औजार यान

Goods Stock

5. Average authorised stock.

Item 5.—As for item 1 of St. 4-A, but for goods wagons.. Wagons of the type enumerated in item (*i*) of clause (*b*) under item 7 are to be excluded, but shown in a footnote. Cumulative figures are not required.

6. Average number of wagons owned.

Item 6— is to include the total number of wagons owned by the railway whether against the authorised stock or the replaced stock which is still running. Wagons on loan to other railways are to be included, but those of the type enumerated in item (*i*) of clause (*b*) under item 7 are to be excluded and both of these are to be shown in footnotes. Item 6.01 is to show the number of wagons in units and 6.02 in terms of four-wheelers, as laid down in paragraph 48 of General Instructions.

7. Average number of wagons on line daily, pooled and non-pooled (in terms of four-wheelers).

The figures are to be shown in terms of four-wheelers as defined in paragraph 48 of General Instructions.

Item 7. (*a*) Figures for the average number of broad and metre gauge wagons on the line are to be worked out from the figures which are at present supplied by the Director of Wagon Interchange. Home line wagons absent on other railways are to be excluded, but other railway wagons on home line including those on loan or hire, are to be included.

(*b*) The following wagons are to be excluded in arriving at the "Average number of wagons on the line daily" but are to be shown in a footnote for each of the seven heads separately—

(*i*) Ash vans.
Cranes.
Support wagons of cranes.
Dummy trucks.
Engineering ballast trucks.
Fitters' vans.
Brake vans (other than those exclusively used on passenger and mixed train services).
Shop service wagons.
Water tanks (supplying water to staff).
Weigh-bridge test wagons.
Wheel vans.

NOTE.—All stock classed as 'coaching' would, of course, have to be excluded and mention may here be made of:

accident and relief vans
gas holders,
stores vans, and
tool vans

which would thus get excluded.

कA	खB	गC	घD	ङE
		8. मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु मालडिब्बों की दैनिक औसत संख्या (चौपहियों में)—जारी Average number of wagons (in terms of four-wheelers) under or awaiting repairs daily.—(contd.)		

(*ii*) ऐसे मालडिब्बों की औसत संख्या जो नाकारा ठहराए गए हैं और यातायात से हटा लिये गये हैं अथवा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद पैरा 239 वि० के संदर्भ में जिनकी मरम्मत अलाभकर घोषित की गई है, भले ही नाकारा ठहराने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त हो या न हुई हो।

(*ii*) Average number of wagons condemned and withdrawn from traffic as well as those which after inspection by proper authority are declared to be uneconomic to repair in terms of para. 239–F irrespective of whether the sanction for condemnation of the competent authority has been received or not.

(*iii*) ऐसे मालडिब्बों की औसत संख्या जो अन्य विभागों, स्वक्षेत्रीय लाइन निर्माण अथवा अन्य रेलों को उधार दिए जायें। इनमें वे मालडिब्बे भी शामिल हैं जिनकी किलो मीटर दूरी विवरण 2 की मद 6.09 में शामिल है और वे भी कि जो कर्मचारियों के आवास अथवा रेलवे सामान को रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं।

(*iii*) Average number of wagons lent to other departments, home line constructions or other railways including wagons, the kilometrage of which is included in item 6.09 of St. 2 and those used for housing staff or storing railway materials.

(*iv*) कोचिंग यातायात के लिए इस्तेमाल होने वाले माल-डिब्बों की औसत संख्या, जिसमें सवारी गाड़ियों के साथ चलने वाले खाली माल-डिब्बे भी शामिल हैं।

(*iv*) Average number of wagons used for coaching traffic, including empty wagons running on passenger trains.

(*v*) पोर्ट ट्रस्ट रेलों में माल-डिब्बों की औसत संख्या।

(*v*) Average number of wagons on Port Trust Railways.

(*vi*) जो साइडिंग रेलवे द्वारा चालित नहीं हैं उन पर गए हुए माल-डिब्बों की औसत संख्या।

(*vi*) Average number of wagons placed on sidings not worked by the railway.

(*vii*) लापता मालडिब्बे अर्थात् पिछली दो गणनाओं में न मिलने वाले मालडिब्बे।

(*vii*) Missing wagons, i.e., wagons which have not been found in the last two censuses.

8. प्रतिदिन मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्ष, माल-डिब्बों की औसत संख्या.—

8. Average number of wagons under or awaiting repairs daily.

टिप्पणी.—मद 8.01, 8.03 और 8.05 के आंकड़े, जैसा कि विवरण 4-क की टिप्पणी सामान्य अनुदेश में निर्दिष्ट है, निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किए जाएंगे।

NOTE.—The figures for items 8.01, 8.03 and 8.05 are to be rounded off to the nearest whole number as indicated in general 'instruction of St. 4-A.

(*क*) मद 8.01, 8.03 और 8.05—मरम्मत लाइनों और यांत्रिक कर्मशालाओं में मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु मालडिब्बों की संख्या प्रतिदिन वस्तुतः गणना करके और उसके जोड़ को महीने के सम्बन्धित दिनों की संख्या से विभाजित करके मालूम की जाएगी। गणना प्रातः 6 बजे से 8 बज के बीच की जाएगी।

(*a*) Items 8.01, 8.03 and 8.05.—The number of wagons under or awaiting repairs in sick lines and Mechanical workshops is to be obtained by actual count daily and by dividing the total thereof by the number of days for which count was taken in the month. The count is to be made between 6 and 8 hours in the morning.

गाड़ी-परीक्षक कर्मचारियों द्वारा खराब (सिक) घोषित किए गए मालडिब्बे जिन्हें यांत्रिक मरम्मत की जरूरत नहीं, उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित कारणों से खराब ठहराए गए माल-डिब्बे:—

The wagons marked 'sick' by the train examining staff which do not require Mechanical repairs, e. g., marked 'sick' due to:—

(*i*) स्थानीय लदान वाले मालडिब्बे जो अन्य रेलों को लाद दिये गए

(*i*) local loading wagons loaded to other railways,

(*ii*) आवधिक ओवरहाल किए जाने वाले मालडिब्बे जो लादकर गलत दिशा में भेजे गए,

(*ii*) wagons due P.O.H. loaded in the wrong direction,

(*iii*) ऐसे मालडिब्बे जिनकी भार के समायोजन की जरूरत है,

(*iii*) wagons requiring adjustment of load,

(*iv*) असंतुलित रूप से अथवा वहन क्षमता से ज्यादा लादे गए मालडिब्बे,

(*iv*) wagons loaded unevenly or in excess of the carrying capacity,

(*v*) अपेक्षित से बड़े आकार के माल से लादे गए मालडिब्बे, और

(*v*) Wagons loaded with over-size consignments, and

(*vi*) वे मालडिब्बे जिनके दरवाजे यातायात विभाग आदि द्वारा ठीक तरह से बंद न किए जाने के कारण फिर से बंद किए जाने हैं, इत्यादि

(*vi*) Wagons requiring doors to be closed which have not been correctly closed by the Traffic department, etc.,

इस शीर्ष के अन्तर्गत मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु मालडिब्बों के तौर पर शामिल नहीं किए जाएंगे।

are not be included as wagons under or awaiting repairs, under this head.

कA	खB	गC	घD	ङE
		यांत्रिक कर्मशाला में— In Mechanical workshops—		
		8.01 संख्या .. Number		
		8.02 मद-7 का प्रतिशत ... Percentage of item 7		
		वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े— Stabled, awaiting workshop repairs—		
		8.03 संख्या .. Number		
		8.04 मद 7 का प्रतिशत .. Percentage of item 7		
		मरम्मत लाइनों में— In sick lines—		
		8.05 संख्या .. Number		
		8.06 मद 7 का प्रतिशत .. Percentage of item 7		
		9. कारगर मालडिब्बों की औसत संख्या (चौपहियों में)– Average number of effective wagons (in terms of four-wheelers) –		
		9.01 संख्या .. Number		
		9.02 मद 7 का प्रतिशत .. Percentage of item 7		
		10. रेलकार—आन्तरिक दहन इंजन चालित— Rail cars–Internal combustion engine propelled—		
		10.01 लाइन पर औसत संख्या (यूनिटों में)— Average number on the line (in units)—		
		(क) रेलकार .. (a) Rail cars		
		(ख) ट्रेलर कोच .. (b) Trailer coaches		
		10.02 प्रति कार दिन कार किलोमीटर .. Car kilometres per car day		
		10.03 प्रति कार खराबी कार किलोमीटर .. Car kilometres per car failure		

(ख) आंकड़े चौपहियों में दिखाए जाएंगे जैसा कि सामान्य अनुदेश के पैरा 48 में निर्दिष्ट हैं। इनमें मद 7 के अनुदेशों के खण्ड (ग) की (i) से लेकर (vii) तक की मदों में उल्लिखित मालडिब्बों को छोड़कर, स्वक्षेत्रीय अथवा अन्य रेलों के मरम्मत अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु सभी माल-डिब्बे शामिल किये जायेंगे।

मद 8.01 में वर्कशाप की सीमाओं के अन्दर खड़े सभी मालडिब्बे शामिल होंगे लेकिन जिन वर्कशापों के बाहर या नजदीक कोई स्टेब्लिंग लाइन नहीं है उनके मामले में, वर्कशाप की सीमा के अन्दर मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े मालडिब्बों को, उन पर काम शुरू होने के समय से मद 8.01 के अन्तर्गत गिना जाए। मालडिब्बे को वर्कशाप की सीमा के अन्दर ले जाए जाने के समय से लेकर, मरम्मत का काम शुरू होने तक का समय और मालडिब्बों के मरम्मत की प्रतीक्षा में वर्कशाप के बाहर स्टेब्लिंग यार्ड में खड़े रहने का समय मद 8.03 के अन्तर्गत गिना जाए।

आवधिक ओवरहाल के लिए निर्दिष्ट जिस स्टाक को यातायात द्वारा, वर्कशाप जाते समय मार्ग में लदान के लिए इस्तेमाल किया जाय और वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े जिस स्टाक को लदान के लिए इस्तेमाल किया जाय उसे नाकारगर नहीं मानना चाहिए।

मद 8.05 में मद 8.01 और 8.03 में शामिल माल डिब्बों को छोड़कर, मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु सभी मालडिब्बे आयेंगे, जिनमें मार्ग में खराब (सिक) घोषित किये गये डिब्बे भी शामिल हैं।

$$\text{मद } 8.02 = \frac{\text{मद } 8.01 \times 100}{\text{मद } 7}$$

$$\text{मद } 8.04 = \frac{\text{मद } 8.03 \times 100}{\text{मद } 7}$$

$$\text{मद } 8.06 = \frac{\text{मद } 8.05 \times 100}{\text{मद } 7}$$

9. कारगर मालडिब्बों की औसत संख्या—

$$\text{मद } 9.01 = \text{मद } 7 - (\text{मद } 8.01 + 8.03 + 8.05)$$

$$\text{मद } 9.02 = \frac{\text{मद } 9.01 \times 100}{\text{मद } 7}$$

10. रेल कार—आन्तरिक दहन इंजन चालित—स्वत:चालित वाहन होते हैं जिनके प्राइम मूवर आन्तरिक दहन इंजन होते हैं।

10.01 लाइन पर औसत संख्या.—जैसा कि इंजनों (विवरण 4-क की मद 2) के मामले में है, लेकिन आन्तरिक दहन इंजन चालित रेल कारों और उनके साथ संलग्न ट्रेलर डिब्बों (दोनों यूनिटों में होंगे) के बारे में।

10.02 प्रति कार दिन-कार किलोमीटर.—मद 10.03 के नीचे की पाद-टिप्पणी (*ii*) देखें।

$$\text{मद } 10.02 = \frac{\text{विवरण 1-ख की मद 1.07 (छोटी लाइन के मामले में विवरण 9–भाग 1 की मद 2.07)}}{\text{मद } 10.01(\text{क}) \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

10.03 प्रति कार खराबी कार किलोमीटर

$$\text{मद } 10.03 = \frac{\text{विवरण 1-ख की मद 1.07 (छोटी लाइन के मामले में विवरण 9–भाग 1 की मद 2.07)}}{\text{महीने के दौरान (आन्तरिक दहन इंजन चालित) रेल कार खराबियों की संख्या}}$$

(*b*) The figures are to be shown in terms of four-wheelers as laid down in paragraph 48 of the General Instructions and are to include all home or other railway wagons under or awaiting repairs excluding those referred to in items (*i*) to (*vii*) of clause (*b*) of instructions for item 7.

Item 8.01—is to include all wagons within workshop limits. However, in the case of workshops having no stabling lines outside or near about, the wagons standing within workshop limits awaiting repairs should be accounted for against item 8.01 from the time the work is started on them. The period from the time the wagon is brought within the workshop limits till the repair work is undertaken and the time involved in wagons standing in the stabling yards outside workshops awaiting workshop repairs should be counted against item 8.03.

Stock marked for P.O.H. used by traffic for loading *en route* to workshops or stock stabled awaiting workshop repairs utilized for loading should not be treated as ineffective.

Item 8.05—is to include all wagons under or awaiting repairs including those marked sick *en route* other than those included in items 8.01 and 8.03.

$$\text{Item } 8.02 = \frac{\text{Item } 8.01 \times 100}{\text{Item } 7}$$

$$\text{Item } 8.04 = \frac{\text{Item } 8.03 \times 100}{\text{Item } 7}$$

$$\text{Item } 8.06 = \frac{\text{Item } 8.05 \times 100}{\text{Item } 7}$$

9. Average number of effective wagons.

$$\text{Item } 9.01 = \text{Item } 7 - (\text{Items } 8.01 + 8.03 + 8.05).$$

$$\text{Item } 9.02 = \frac{\text{Item } 9.01 \times 100}{\text{Item } 7}$$

10. Rail cars–Internal combustion engine propelled—are self-propelled vehicles the prime movers of which are internal combustion engines.

10.01. Average number on the line.–As in the case of engines (item 2 of St. 4-A), but for internal combustion engine propelled rail cars and trailer coaches attached to them (both in units).

10.02. Car kilometres per car day.–See footnote (*ii*) under item 10.03.

$$\text{Item } 10.02 = \frac{\text{Item 1.07 of St. 1-B. (Item 2.07 of St. 9—Part I in the case of narrow gauge).}}{\text{Item 10.01 (a) X number of days in the month.}}$$

10.03. Car kilometres per car failure.

$$\text{Item } 10.03 = \frac{\text{Item 1.07 of St. 1-B (Item 2.07 of St. 9—Part I in the case of narrow gauge.)}}{\text{Number of rail car (internal combustion engine propelled) failures during the month.}}$$

कA	खB	गC	घD	ङE
		11. हाट बक्स— Hot boxes—		
		11.01 कोचिंग स्टाक Coaching Stock ..		
		11.02 मालडिब्बा स्टाक Goods Stock ..		
		11.03 प्रति 10,000,000 वाहन किलोमीटर पर कोचिंग हाट बक्स Coaching hot boxes per 10,000,000 vehicle kilometres ..		
		11.04 प्रति 1,000,000 मालडिब्बा किलोमीटर पर माल-डिब्बा हाट बक्स Goods hot boxes per 1,000,000 wagon kilometres. ..		

टिप्पणी. —(*i*) कोई रेलकार तब खराब हुई मानी जाती है, जब वह अपनी बुकिंग के अनुसार प्रस्थान से गन्तव्य तक चलने में असमर्थ रहे अथवा किसी यांत्रिक दोष और/अथवा ड्राइवरों के कुप्रबन्ध के कारण एक घंटा या अधिक लेट हो जाए ।

(*ii*) यदि किसी आन्तरिक दहन इंजन चालित रेलकार के साथ कोई ट्रेलर कोच संलग्न हो तो उसे सकल टन किलोमीटरों (विवरण 3-क की मद 1.05 और 1.06) में दिखाया जायेगा । लेकिन उसे मद 10.02 और 10.03 अर्थात् प्रति कार दिन या प्रति कार खराबी कार किलोमीटर के आंकड़े निकालने के लिए शामिल नहीं किया जायेगा ।

11. **हाट बक्से.**—ऐसा प्रत्येक जरनल हाट बक्स माना जायेगा जिसके गर्म हो जाने के कारण वाहन, मालडिब्बे अथवा ब्रेक यान को यात्रारंभ से निर्धारित गन्तव्य स्थान तक के लिए गाड़ी से अलग करना पड़े ।

मद 11.01—**कोचिंग स्टाक.**— में मद 1.01 और 1.02 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी सवारी डिब्बों और अन्य कोचिंग वाहनों के हाट बक्से शामिल हैं । स्वक्षेत्रीय लाइन पर चल रहे दूसरी रेलों के वाहनों को शामिल किया जाएगा , लेकिन अन्य रेलवे पर चल रहे स्वक्षेत्रीय लाइन के वाहन शामिल नहीं किए जाएंगे ।

मद 11.02—**मालडिब्बा स्टाक.**—में स्वक्षेत्रीय और दूसरी रेलवे के मालडिब्बों (एकत्रीकृत और गैर एकत्रीकृत) के हाट बक्से आएंगे । इनमें विभागीय मालडिब्बों आदि तथा सवारी गाड़ियों , मालगाड़ियों या मिली–जुली गाड़ियों में बिना किसी भेद भाव के इस्तेमाल होने वाले ब्रेकयानों,जिन्हें कि माल चल-स्टाक माना जाता है, के हाट बक्से भी शामिल हैं ।

$$\text{मद } 11.03 = \frac{11.01 \times 10,000,000}{\text{विवरण 1-ख की मद } 6.01+6.02+6.03\text{– विभागीय मिली–जुली के माल अंश के वाहन किलोमीटर+ मद } 6.04}$$

$$\text{मद } 11.04 = \frac{\text{मद } 11.02 \times 1,000,000}{\text{विवरण 2 की मद } 6.07+6.09+6.10+ \text{ विवरण 1-ख की मद } 6.03 \text{ में शामिल विभागीय मिली–जुली के माल अंश के वाहन किलोमीटर}}$$

टिप्पणी.—छोटी लाइनों के लिए मद 11.03 और 11.04 के संकलन के बारे में अनुदेश नीचे दिये गये हैं:—

छोटी लाइनों के सम्बन्ध में अनुदेश

टिप्पणी.—इन मदों के परिणाम निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किय जायेंगे ।

$$\text{मद } 11.03 = \frac{\text{विवरण 4-ख की मद } 11.01 \times 10,000,000}{\text{विवरण 9–भाग 1 की मद } 6.01+6.02+ \text{ मद } 6.08 \text{ में शामिल विभागीय वाहन किलोमीटर दूरी का सवारी अंश +मद } 6.09 \text{ में शामिल सवारी और मिली–जुली गाड़ियों में चलने वाले ब्रेकयानों की किलोमीटर दूरी}}$$

$$\text{मद } 11.04 = \frac{\text{विवरण 4-ख की मद } 11.02 \times 1,000,000}{\text{विवरण 9–भाग 1 की मद } 6.04+6.07+ \text{ मद } 6.08 \text{ और } 6.09 \text{ में शामिल विभागीय वाहन किलोमीटर दूरी का माल अंश और माल गाड़ियों में चलने वाले ब्रेकयानों की किलोमीटर दूरी}}$$

NOTE.—(*i*) Rail car is considered to have failed when it is unable to work according to its booking from start to destination or causes a delay of one hour or more through some mechanical defect and/or mismanagement of drivers.

(*ii*) If a trailer coach is attached to an Internal combustion engine propelled rail car, it is to be accounted for in gross tonne kilometres (Items 1.05 and 1.06 of St. 3-A), but the same is to be excluded for working out results of items 10.02 and 10.03 i. e., car kilometres per car day or per car failure.

11. **Hot boxes.**—Every journal which runs warm necessitating a vehicle, wagon or brake van, being detached from a load from the commencement of its journey to its booked destination inclusive, should be considered a hot box.

Item 11.01.—**Coaching stock**—is to include the hot boxes of all passenger carriages and other coaching vehicles as defined in items 1.01 and 1.02. Hot boxes of other railways' vehicles running on the home line are to be included, but those of home line vehicles running on other railways are to be excluded.

Item 11.02.—**Goods stock**—is to include the hot boxes of both home and other railways' goods wagons (pooled or non-pooled) including departmental wagons, etc., and brake vans used indiscriminately on passenger, goods or mixed services which are treated as goods rolling stock.

$$\text{Item } 11.03 = \frac{\text{Item } 11.01 \times 10,000,000}{\text{Items } 6.01+6.02+6.03 \textit{ less} \text{ the vehicle kilometrage of goods proportion of departmental mixed+6.04 of St. 1-B.}}$$

$$\text{Item } 11.04 = \frac{\text{Item } 11.02 \times 1,000,000.}{\text{Items } 6.07+6.09+6.10 \text{ of St. } 2+\text{the vehicle kilometrage of goods proportion of departmental mixed included in item } 6.03 \text{ of St. 1-B.}}$$

NOTE.—Instructions for compiling items 11.03 and 11.04 narrow gauge lines are given below:—

Instructions for Narrow Gauge

NOTE.—The results of these items are to be rounded off to the nearest whole number.

$$\text{Item } 11.03 = \frac{\text{Item } 11.01 \text{ of St. 4-B} \times 10,000,000}{\text{Items } 6.01+6.02+\text{passenger proportion of the departmental vehicle kilometrage included in item } 6.08+\text{the kilometrage of brake vans running on passenger and mixed trains included in item } 6.09 \text{ of St. 9—Part I.}}$$

$$\text{Item } 11.04 = \frac{\text{Item } 11.02 \text{ of St. 4-B} \times 1,000,000}{\text{Items } 6.04+6.07+\text{goods proportion of the departmental vehicle kilometrage and kilometrage of brake vans running on goods trains in items } 6.08 \text{ and } 6.09 \text{ of St. 9—Part I.}}$$